कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत

PG Sem-II, Paper-8
(Pol. Sc.)

"चतस्त्र एवं विद्या इति कौटिल्य:, तामि धर्माचा यद्विद्यानां विद्यात्वम!
दण्डमूलास्तिस्त्रो विद्या: तस्या मामत्ता लोक मात्रा।"

आन्वीक्षिकी (दर्शन और तर्क), त्रयी (धर्म-अधर्म या वेदों का ज्ञान), वार्ता (कृषि, व्यापार आदि) और दण्ड नीति (शासन कला अथवा राजनीति शास्त्र) ये चार विद्याएँ हैं क्योंकि विद्या वह है जिसमें धर्म और अर्थ का परिज्ञान और सिद्धि हो, किन्तु इनमें दण्ड नीति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य विद्याओं का मूल दण्ड नीति में ही है और संपूर्ण सांसारिक जीवन दण्ड नीति पर ही आश्रित है।

कौटिल्य या चाणक्य द्वारा ~~अपनी पुस्तक~~ व्यक्त की गई उपरोक्त बातें उसके स्वयं के द्वारा लिखी गई पुस्तक 'अर्थशास्त्र' का हिस्सा है। वस्तुत: कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय रचनाओं में राजशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अर्थ एवं अर्थशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा दी है। उसके अनुसार "मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य से युक्त भूमि का नाम भी अर्थ है। इस भूमि को प्राप्त करने और रक्षा के उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है।" इसी प्रकार पुस्तक के प्रथम सूत्र में भी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को पृथ्वी की प्राप्ति और रक्षा से संबंधित शास्त्र कहा है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण हैं। प्रथम पांच अधिकरणों में राज्य के आंतरिक प्रशासन पर प्रकाश डाला गया है; 6 से 13 अधिकरणों में राज्य के वैदेशिक संबंधों की विवेचना की गई है एवं शेष 2 अधिकरणों में अन्यान्य विषयों की चर्चा की गई है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र के <u>षष्ठ अधिकरण</u> के <u>प्रथम अध्याय</u> में राज्य के सात अंगों का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के सात आवश्यक तत्व होते हैं। उन्हें वह राज्य की प्रकृति भी कहता है और अंग भी। राज्य के सात अंगों के कारण ही राज्य की प्रकृति के संबंध में कौटिल्य का सिद्धांत "**सप्तांग सिद्धांत**" कहलाता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के सात अंग इस प्रकार हैं—(1) स्वामी (राजा) (2) अमात्य, (3) जनपद, (4) दुर्ग, (5) कोष, (6) दण्ड और (7) मित्र। सप्तम तत्व मित्र दूसरे राज्य का राजा होता है जो विजयाभिलाषी राजा के साथ मित्रता के सूत्र में बंधा रहता है एवं युद्ध के समय उसकी सहायता करता है।

Scanned with CamScanner

अतएव मित्र किसी राज्य के आंतरिक संगठन का तत्व नहीं होता है। आंतरिक संगठन की दृष्टि से राज्य के मुख्य छह ही तत्व हैं एवं इन छह तत्वों की व्याख्या कौटिल्य ने प्रशासन के व्यवहारिक दृष्टिकोण से की है। प्रशासन के लिए राजा की आवश्यकता होती है। राजा की सहायता के लिए अमात्य होते हैं। पुनः प्रजा के वास स्थान के लिए जनपद की जरूरत होती है जिसपर राजा शासन करता है। फिर दुर्ग होता है जहाँ से राजा शासन करता है। अंत में कोष और सेना (दंड) की आवश्यकता होती है जिनके द्वारा राजा राज्य को सुरक्षा एवं स्थायित्व प्रदान करता है राजा स्वयं तथा उसके मित्र "राज प्रकृति" एवं अमत्यादि अवशिष्ट पांच तत्व "द्रव्य प्रकृति" कहे जाते हैं।

कौटिल्य ने राज्य के इन सात अंगों का विशद विवेचन भी किया है जो इस प्रकार है—

1. स्वामी (राजा) – कौटिल्य के अनुसार स्वामी या राजा राज्य का केन्द्र और प्रधान होता है। राज्य की सफलता राजा के चारित्रिक गुण एवं नीति पर निर्भर करती है। वस्तुतः कौटिल्य के राज्य में राजा ही शासन की धुरी है। वही शासन संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेकर शासन को गति प्रदान करता है। अतएव कौटिल्य ने राजा के आवश्यक गुणों, नीतियों, योग्यताओं आदि पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। उसके अनुसार राजा को कुलीन, धर्म निष्ठ, सत्यवादी, विवेकी, दूरदर्शी, दृढ़ निश्चयी, उत्साही धैर्यवान, युद्ध कला में चतुर आदि होना चाहिए। उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। राजा को पूर्ण रूप से शिक्षित होना चाहिए। राजा को दीन, वृद्ध, अपंग आदि की सहायता करनी चाहिए एवं विपत्ति के समय प्रजा का निर्वाह करना चाहिए। उसे अपने कोष की वृद्धि पर भी पूर्ण ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य द्वारा निर्देशित राज्य के सप्तांगों में राजा का सर्वोत्तम स्थान है।

2. अमात्य (मंत्री) – राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व अमात्य है। अमात्य के अंतर्गत सिर्फ मंत्री ही नहीं, बल्कि सभी प्रकार के शासनाधिकारी, शासन विभाग के अध्यक्ष एवं राज्य के अन्य कर्मचारी आते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा मंत्रियों एवं कर्मचारियों के बिना सुचारु रूप से शासन का संचालन नहीं कर सकता है। अतएव राजा को अपनी सहायता के लिए अमात्यों की आवश्यकता होती है। उसने यह भी कहा है

Scanned with CamScanner

कि ऐसे व्यक्तियों को ही अमात्य बनाना चाहिए जो सामर्थ्यवान, बुद्धिमान एवं गुणवान हों। उन अमात्यों में से श्रेष्ठ, विश्वासपात्र तथा अनुभवी व्यक्तियों को मंत्री बनाना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, राज-पुरोहित एवं अन्य मंत्री होते हैं। राजा उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करे जो सर्वगुण संपन्न हो। राज पुरोहित के लिए यह आवश्यक है कि वह कुलीन, सदाचारी, सभी वेदों का ज्ञाता, दंडनीति आदि शास्त्रों में निपुण हो।

कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या राज्य के आकार एवं सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। केवल योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति को ही मंत्री बनाना चाहिए। राजा को तीन या चार मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, उनसे अधिक और कम से नहीं। कौटिल्य के अनुसार अमात्यों का कार्य राजा को परामर्श देना, राज्य की रक्षा के लिए उपाय सोचना, नये स्थान में गांव बसाना एवं उनका विकास करना और अर्थदंड तथा राजकीय कर की वसूली करना है।

3. जनपद — राज्य का तीसरा आवश्यक तत्व जनपद है। कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से जनपद की कहीं परिभाषा नहीं दी है फिर भी जनपद से उसका तात्पर्य सिर्फ भू प्रदेश से नहीं, बल्कि राज्य के ~~वासी~~ निवासी या जनसंख्या से भी है क्योंकि कौटिल्य ने लिखा है कि "जनता के अभाव में जनपद की कल्पना नहीं की जा सकती है और जनपद के बिना ~~स~~ राज्य का भी अस्तित्व असंभव हो जायेगा। कौटिल्य का जनपद गांव, संग्रहण, खार्बटिक, द्रोणमुख एवं स्थानीय में बँटा हुआ है। एक उत्तम जनपद के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ की जलवायु स्वास्थवर्धक हो, खेती योग्य उपजाऊ भूमि हो, यातायात के विकसित जलमार्ग एवं स्थलमार्ग हो। कृषि की सुविधा के लिए सिंचाई का समुचित प्रबंध हो, देवालय एवं विश्रामगृह हों और साथ ही नदियों, पशुधनों, खनिज पदार्थों आदि की भी बहुलता हो।

चूँकि जनपद में केवल प्रदेश ही नहीं, वहाँ के निवासी भी सम्मिलित हैं अतः कौटिल्य ने निवासियों के गुणों पर भी प्रकाश डाला है। उसके अनुसार निवासियों को परिश्रमी एवं स्वामीभक्त होना चाहिए। उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वेच्छा से कर भी देना चाहिए। भू-प्रदेश के आकार के विषय अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे संकेत हैं जो छोटे आकार के राज्य के पक्ष में हैं।

Scanned with CamScanner

४. दुर्ग – राज्य का चौथा तत्व दुर्ग है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ दुर्ग अति आवश्यक है। जनपद में स्थान-स्थान पर दुर्गों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे शत्रुओं के आक्रमण से राज्य की रक्षा संभव हो सके। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग चार प्रकार के होते हैं – औदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, व्यान्वन दुर्ग, वन दुर्ग।

इन दुर्गों में से प्रथम दो दुर्ग – औदक दुर्ग एवं पर्वत दुर्ग – शत्रु के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा में सहायक होते हैं तथा अंतिम दो दुर्ग – व्यान्वन दुर्ग एवं वन दुर्ग – राज्य की सुरक्षा के लिए सहायक होते हैं। आपत्ति के समय भागकर राजा इन दुर्गों की शरण लेकर आत्मरक्षा कर सकता है।

५. कोष – राज्य का पंचम प्रमुख तत्व कोष है। राज्य की कार्यक्षमता एवं प्रगति उसके कोष पर निर्भर करती है। अर्थशास्त्र में धन या अर्थ ही प्रधान वस्तु है। राज्य के प्रत्येक कार्य के लिए धन अत्यावश्यक है। कोष के द्वारा ही सेना का भरण-पोषण किया जा सकता है एवं सैनिकों को संतुष्ट कर राजा उनकी भक्ति और श्रद्धा को पा सकता है। अतएव कोष राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। कोष में प्रचुर सोना-चाँदी, बहुमूल्य रत्नादि और नकद सिक्के का रहना आवश्यक है। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि कोष का संग्रह धर्मपूर्वक एवं न्यायसंगत विधि से होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अन्न के षष्ठांश और व्यापारिक वस्तुओं के दशमांश को शास्त्रविहित ढंग से ग्रहण कर कोष का संचय होना चाहिए।

६. दंड अथवा सेना – दंड अथवा सेना राज्य का छठा महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अंतर्गत हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल ये चतुरंगिणी सेनाएँ आती हैं। सेना राज्य की सुरक्षा का प्रमुख साधन है। कौटिल्य का कथन है कि जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है, उसके मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं, बल्कि शत्रु तक भी मित्र बन जाते हैं। सैनिक अस्त्र-शस्त्र के प्रयोग में भली-भाँति प्रशिक्षित, वीर, स्वाभिमानी और राष्ट्रप्रेमी होने चाहिए। वह क्षत्रिय वर्ग को सेना में नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानता है, किन्तु उसका विचार है कि आवश्यकता पड़ने पर वैश्य और शूद्रों को भी सेना में नियुक्त किया जा सकता है। कौटिल्य के अनुसार संतुष्ट सेना विजय की कुंजी है, अतः सैनिकों को अच्छा वेतन

Scanned with CamScanner

तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करते हुए संतुष्ट तथा प्रसन्न रखा जाना चाहिए।

7. मित्र – कौटिल्य के अनुसार राज्य की उन्नति के लिए तथा आपत्ति के समय राजा की सहायता के लिए मित्रों की आवश्यकता होती है। अतएव राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करे जो समय पर उसकी सहायता कर सकें। कौटिल्य का मत है कि मित्र ऐसे हों जो पितृ-पितामह के क्रम से चले आ रहे हों। मित्रों का कुलीन, दुविधाशून्य, महान एवं अवसर के अनुसार उद्योगी होना भी आवश्यक है।

इस प्रकार कौटिल्य का मत है कि इन सातों तत्वों या प्रकृतियों या अंगों में सभी का सुदृढ़ एवं स्वस्थ होना आवश्यक है। इन सभी अंगों के परस्पर सहयोग से ही राज्य का संचालन सुचारु रूप से होता है। यदि ये आपस में उदासीन रहकर एक-दूसरे की सहायता न करें, तो राज्य के लिए बहुत बड़ी व्याधि उत्पन्न हो सकती है। कौटिल्य इस तथ्य को स्वीकार करता है कि राज्य के एक तत्व में व्याधि होने से अन्य तत्व भी व्याधि से ग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन यदि राजा निपुण हो तो एक या दो अंग के व्याधिग्रस्त होने पर भी राज्य के कार्यों का संचालन होता रहता है।

आधुनिक राज्य का ऐसा कोई तत्व नहीं है, जो अर्थशास्त्र में नहीं पाया जाता हो। कौटिल्य के स्वामी संप्रभुता के, अमात्य सरकार के, जनपद जनसंख्या और भू-भाग के प्रतीक हैं। सिर्फ शब्द अलग हैं, उनके भाव आधुनिक भावों से भिन्न नहीं हैं। कौटिल्य का मित्र तत्व आज के अंतः मान्यता के समतुल्य है।

अतएव निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत आधुनिक राज्य के लिए भी संगत प्रतीत होता है। इतना ही नहीं राज्य जैसी अमूर्त धारणा (abstract concept) को स्पष्ट, निश्चित और मूर्त करने में कौटिल्य जितना सफल रहा है उतना आधुनिक चिंतक भी नहीं हुए हैं। इस प्रकार राज्य के तत्वों का विस्तृत वर्णन कर कौटिल्य ने व्यावहारिक राजनीति के प्रति सिर्फ अपनी पैनी निगाह का ही परिचय नहीं दिया है, अपितु राज्य जैसी अमूर्त, निराकार और भावात्मक धारणा को मूर्त, स्पष्ट और निश्चित करने का प्रयास किया है।

Shashi Bhushan Kr., Dept. of Pol. Sc., R. N. College, Hajipur

Shashi 07/10/12

Scanned with CamScanner